मध्य प्रदेश में 'द कश्मीर फाइल्स'फिल्म करमुक्त

चर्चा में क्यों?

13 मार्च, 2022 को राज्य शासन ने हिन्दी फीचर फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स'के कथानक एवं अन्य विशेष समाज उपयोगी गुणों के दृष्टिगत इसे मध्य प्रदेश में प्रदर्शन के लिये राज्य माल और सेवा कर से छूट प्रदान की है।

प्रमुख बिंदु

- वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी आदेश में यह छूट 14 मार्च से 13 सितंबर तक के लिये दी गई है। दर्शकों के लिये यह छूट सिंगिल स्क्रीन थियेटर्स और मल्टीप्लेक्स सहित सभी जगह फिल्म प्रदर्शन पर लागू रहेगी।
- गौरतलब है कि 11 मार्च को रिलीज हुई इस फिल्म को हरियाणा ने पहले ही टैक्स फ्री कर दिया है। मध्य प्रदेश के साथ ही गुजरात ने भी इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया है।
- केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के सदस्य रहे विविक रंजन अग्निहोत्री द्वारा निर्देशित इस फिल्म पर दी गई छूट में प्रतिपूर्ति का लाभ लेने के लिये संबंधित सिनेमाघरों/मल्टीप्लेक्स द्वारा राज्य माल सेवा कर (एसजीएसटी) की राशि को घटाकर दर्शकों को इस फिल्म के टिकिट का विक्रय किया जाएगा।
- फिल्म के प्रदर्शन के लिये संबंधित सिनेमाघरों/मल्टीप्लेक्स के प्रचलित सामान्य प्रवेश शुल्क में वृद्धि नहीं की जा सकेगी। मल्टीप्लेक्स/सिनेमाघर द्वारा इस सेवा पर देय राज्य माल एवं सेवा कर की राशि का स्वयं वहन किया जाएगा।
- देय एवं भुगतान किये गए राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी) के अंश के बराबर की राशि की राज्य शासन द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी।
- उल्लेखनीय है कि 'द कश्मीर फाइल्स'में कश्मीरी हिंदुओं के दर्द, पीड़ा, संघर्ष, पलायन और आघात की कहानी बताई गई है।
- फिल्म के निर्देशक विविक रंजन अग्निहोत्री मूलत: मध्य प्रदेश के हैं। वे अनेक वर्ष भोपाल में भी रहे हैं। उनके निर्देशन में बनी इस फिल्म में प्रख्यात अभिनेता अनुपम खेर सहित अन्य कलाकारों ने अभिनय किया है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/film-the-kashmir-files-tax-free-in-madhya-pradesh